(नियम 26)

अज अदालत ............ मुकाम

तहसीलदार नीमकाथाना बनाम रूप सिरोही

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र नं. ............ सन् 2018

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12/4/18 | पत्रावली माननीय न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महो० जयपुर से प्राप्त होकर पेश हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 11.2.2017 को निरस्त कर पत्रावली इस आदेश के साथ प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर व साक्ष्य सबूत लेकर सुनवाई की जाकर अपना निर्णय पुनः पारित करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11/5/18 को पेश हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना | |
| 11/5/18 | पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार उपस्थित। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/6/18 को पेश हो। | |
| 26/6/18 | पत्रावली पेश हुई। लीकि वकील अपार्थी कि ओर से पेश हुआ शामिल किया गया। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे तहसीलदार नीमकाथाना से पुनः स्पष्ट रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली दिनांक 5/7/18 को पेश हो। | |
| 5/7/18 | पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार उपस्थित। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/7/18 को पेश हो। | |
| 20/7/18 | पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली कि गई। वकील अपार्थी की बहस सुनी गई। अपार्थीगण के वकील ने बताया कि मान० न्यायालय द्वारा | |

प्रार्थना पत्र मे दिनांक 11-2-2017 को जो आदेश पारित किया था जिसकी अप्रार्थीगण द्वारा मान० अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महो० जयपुर के यहा अपील की गई थी जिसका निर्णय किया जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 11-2-17 को निरस्त किया जा चुका है एवं पत्रावली पर पुन: सुनवाई की जाकर पुन: निर्णय पारित करने के आदेश दिये है। प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार नीमकाथाना ने रिपोर्ट पेश कर पूर्व मे प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुचित बताया है एवं पूर्व प्रस्ताव के अनुसार दिये गये आदेश को निरस्त करने बाबत अभिशंषा की है। अत: प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

~~वकील~~ वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पूर्व मे दिनांक 6.10.2016 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से अभिशंषा सहित इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ। प्रस्ताव सिरोही नदी से ढाणी कालाखेत जाने वाले रास्ते का था जिस अभिशंषित प्रस्ताव के अनुसार न्यायालय द्वारा दिनांक 11-2-2017 को मुताबिक प्रस्ताव के रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दर्ज करने का आदेश पारित किया था। रास्ते मे आने वाली भूमि से सम्बधित खातेदारो द्वारा उक्त आदेश की अपील माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महो० जयपुर के यहा करने पर पत्रावली वहा भेजी गयी। मान० अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महो० द्वारा दिनांक 31-1-2018 को निर्णय पारित कर प्रकरण मे पुन सुनवाई की जाकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुन: निर्णय पारित करने का आदेश दिये जाने पर पत्रावली इस न्यायालय मे प्राप्त हुई।

पत्रावली प्राप्त होने पर पक्षकारो को नोटिस जारी किये गये एवं प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे तहसीलदार नीमकाथाना से पुन स्पष्ट रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11-7-2018 के अवलोकन से पाया गया जिस ढाणी मे जाने हेतु रास्ते का प्रस्ताव भेजा गया था उनके निवासीयो की स्वंय की खातेदारी भूमि ख०न० 686 से होकर पक्की डामरीकृत सडक गुजर रही है जो चालू है। एवं पूर्व मे प्रस्तावित रास्ता अनुचित था। अत पूर्व मे ख०न० 722/2 778/2 694/2 68/2 689/2

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | मे कटे रास्ते को निरस्त फरमाया जावे कि स्पष्ट अभिशंषा की है। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पूर्व मे जो प्रस्ताव भेजा गया जो गलत एवं बिना मौका जांच किये तैयार कर भिजवाया गया था। इसलिए न्यायालय हाजा का पूर्व आदेश दिनांक 11.2.2017 अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 11.2.2017 को पारित आदेश भी अपास्त किया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>(जगदीश प्रसाद गौड)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना | |